उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या–2169/पाँच–8–2018–जी0(58)/2016
लखनऊः दिनाँकः 02 जुलाई 2018

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि पत्र

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–241/पाँच–8–2018–जी0(58)/2016, दिनांक 26.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा डा0 समीर कुमार, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, पाटन, उन्नाव को ट्रामा–2, के0जी0एम0यू0, लखनऊ में एक वर्ष तक की अवधि के लिये आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने तथा डा0 समीर कुमार चिकित्साधिकारी की प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण की शर्तें निर्धारित/स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें डा0 समीर कुमार के स्थान पर त्रुटिवश डा0 समीर कुमार वर्मा अंकित हो गया है।

2– अतएव कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.06.2018 में डा0 समीर कुमार वर्मा के स्थान पर डा0 समीर कुमार पढा जाय।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.06.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

शिवगोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या 2169 (1)/पाँच–8–2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–वी0सी0/के0जी0एम0यू0/2016/422, दिनांक 01.08.2016 एवं पत्र संख्या–वी0सी0/के0जी0 एम0यू0/ 2017/1011(1), दिनांक 29.05.2017 के संदर्भ में।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय व अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा (मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव) ।
8. वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3/वित्त(सामान्य) अनुभाग–1
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उन्नाव/लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

karyalya Gyap

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– 241 / पाँच–8–2018–जी(58) / 2016
लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

डा0 समीर कुमार, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, पाटन, उन्नाव द्वारा जनपद लखनऊ में नवनिर्मित ट्रामा–2 में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2016 के माध्यम से अनुरोध किया गया। डा0 समीर कुमार द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के क्रम में कुलपति, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–वी0सी0 / के0जी0एम0यू0 / 2016 / 422, दिनांक 01.08.2016 एवं पत्र संख्या–वी0सी0 / के0जी0एम0यू0 / 2017 / 1011(1), दिनांक 29.05.2017 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन से डा0 समीर कुमार को ट्रामा–2, के0जी0एम0यू0, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया।

2– डा0 समीर कुमार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2016 एवं कुलपति, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–वी0सी0 / के0जी0एम0यू0 / 2016 / 422, दिनांक 01.08.2016 एवं पत्र संख्या–वी0सी0 / के0जी0एम0यू0 / 2017 / 1011(1), दिनांक 29.05.2017 द्वारा किये गये अनुरोध पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 समीर कुमार, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, पाटन, उन्नाव को ट्रामा–2, के0जी0एम0यू0, लखनऊ में एक वर्ष अवधि के लिये आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– डा0 समीर कुमार चिकित्साधिकारी की प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण की शर्तें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

(1) **बाह्य सेवा की अवधि**–प्रारम्भ में डा0 समीर कुमार वर्मा की बाह्य सेवा में तैनाती 01 वर्ष की अवधि के लिये होगी। वित्त विभाग की सहमति से प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि करते हुए कुल प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष होगी, जो पैतृक विभाग में उनके कार्यभार से कार्यमुक्त होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

(2) **वेतन**– वाह्य सेवा की अवधि में डा0 समीर कुमार वर्मा को वही वेतन / भत्ते प्राप्त होंगे जोकि उन्हें उस अवधि में, उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतनमान समय–समय पर प्राप्त होता।

(3) **महंगाई भत्ता**– डा0 समीर कुमार वर्मा को मंहगाई भत्ता राज्य सरकार की दरों पर अनुमन्य होगा, जिसका आगणन मूल वेतन एवं एन0पी0ए0 पर किया जायेगा।

(4) **नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता**–

(क) इन भत्तों का विनियमन वाह्य सेवा योजक के नियमों के अधीन किया जायेगा।

(ख) कार्यभार ग्रहण करने का समय वेतन, कार्यभार ग्रहण करने का समय यदि कोई हो, का विनियमन वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण और उससे प्रत्यावर्तन दोनों ही के लिये उ0प्र0 सरकार के नियमों के अधीन किये जायेगा और इसका भुगतान वाह्य सेवा योजक द्वारा किया जायेगा।

(5) **यात्रा भत्ता**– डा0 समीर कुमार वर्मा द्वारा बाहय सेवा की अवधि में एवं वाह्य सेवा योजक के अधीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने तथा उसे प्रत्यावर्तन के समय की गई यात्राओं के लिये यात्रा भत्ते का विनियमन उनके विकल्प के अनुसार या तो उनके मूल विभाग अथवा वाह्य सेवा योजक के अधीन होगा और इसका भुगतान वाह्य सेवा योजक द्वारा किया जायेगा।

(6) **अवकाश**– वाह्य सेवा की अवधि में डा0 समीर कुमार वर्मा राज्य सरकार के अवकाश सम्बन्धित नियमों द्वारा ही नियन्त्रित होती रहेगी। वाहय सेवा में अथवा उसके द्वारा हुई विकलांगता के संबंध में वाहय सेवा योजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिये देनदार होगा, चाहे ऐसी विकलांगता का पता वाहय सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यो न लगे।

(7) **चिकित्सकीय सुविधायें**— वाह्य सेवा में रहते हुए डा0 समीर कुमार वर्मा की चिकित्सक उपचार के संबंध में वे विशेष सुविधायें प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के अधीन प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार निम्नतम न होगी। किन्तु किसी भी सरकारी सेवक को वाह्य सेवा योजक द्वारा चिकित्सक भत्ता देय नहीं होगा।

(8) **असाधारण पेन्शन**— डा0 समीर कुमार वर्मा अथवा उनके द्वारा परिवार द्वारा वाह्य सेवा में रहते हुए विकलांगता अथवा मृत्यु के संबंध में किया गया कोई दावा उ0प्र0 सिविल सेवायें(असाधारण पेन्शन) नियमावली (यू0पी0 सिविल सर्विसेज एक्ट्रा आर्डिनरी पेन्शन रूल्स) के अनुसार निर्णित किया जायेगा और पन्च निर्णय के पूरे मूल्य का दायित्व वाह्य सेवा योजक का ही होगा।

(9) **अवकाश वेतन तथा अवकाश अवधि में प्रतिकर भत्ता**— वाह्य सेवा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर डा0 समीर कुमार वर्मा द्वारा लिया गया अवकाश अवधि से संबंधित अवकाश वेतन, संबंधित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा देय होगा तथा उस अवधि के प्रतिकर भत्तों का पूरा व्यय वाह्य सेवा योजक द्वारा ही वहन किया जायेगा, परन्तु वाह्य सेवा पर रहते हुए मृत्यु या सेवानिवृत्त की दशा में संबंधित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवकाश के एवज में नियमानुसार अनुमन्य वेतन तथा उस पर देय प्रतिकर भत्ते का भुगतान संबंधित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(10) **सामूहिक बीमा योजना**— इस योजना के अधीन डा0 समीर कुमार वर्मा वाह्य सेवा की अवधि में अपना अंशदान निरन्तर करती रहेगी।

(11) **अन्य वित्तीय सुविधायें**— यदि डा0 समीर कुमार वर्मा को वाह्य सेवा योजक द्वारा उक्त शर्तो के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा दिया जाना प्रस्तावित हो तो वह शासन की स्पष्ट सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी।

4— डा0 समीर कुमार चिकित्साधिकारी स्वयं के अनुरोध पर स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर गये हैं, अतः उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उमेश मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या 241 (1)/पाँच—8—2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या—वी0सी0/के0जी0एम0यू0/2016/422, दिनांक 01.08.2016 एवं पत्र संख्या—वी0सी0/के0जी0 एम0यू0/2017/1011(1), दिनांक 29.05.2017 के संदर्भ में।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय व अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा (मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव)।
8. वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग—3/वित्त(सामान्य) अनुभाग—1
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उन्नाव/लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।